रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, बुधवार, मई 19, 1971/वैशाख 29, 1893
No. 90] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 19, 1971/VAISAKHA 29, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATON

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May 1971

G.S.R. 720.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution, the President, with the consent of the Government of the State of Orissa hereby authorises the Commissioners of Divisions in that State to perform within their respective jurisdiction, the duties of appellate authority under sub-section (1) of section 10 of the Produce Cess Act, 1966 (15 of 1966) and the rules made thereunder in respect of cotton consumed in any mill in India with a view to producing or manufacturing any goods therefrom.

[No. 11-16/69-C.A.I.]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 1971

सा० का० नि०720——राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य सरकार की सहमति से, उस राज्य के डिविजनों के आयुक्तों को, कपास से कोई सामान निर्मित करने या उत्पादित करने के विचार से किसी मिल के कपास की खपत की बाबत, उत्पाद उपकर अधिनियम, 1966 (1966 का 15) की धारा 10 की उपधारा (1) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अपनी अपनी अधिकारिता में, अपील प्राधिकारी का कार्य करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत करते हैं ।

[संख्या 11-16/69-सी० ए० आई०]

एस० जे० मजुमदार, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1971